विज्ञप्ति

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी
शासकीय गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

वेबसाईट: wwwgmc Bhopal फोन : 0755–4050000

क्रमांक / अधि0 / एनएचएम(6) / 2021 / 7844 भोपाल, दिनांक : 23.3.21

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कोविड मरीजों की लगातार बढ़ती हुई संख्या एवं कोविड–19 महामारी रोकथाम हेतु अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में अतिरिक्त मानव संसाधन की अस्थायी, नियुक्ति निश्चित मानदेय 03 माह के लिये अनुमति की प्रत्याक्षा में की जानी है।

क्र.	पदनाम	योग्यता	कुल पद	मासिक मानदेय प्रतिमाह
1.	स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी (डिग्री / डिप्लोमा) विषय विशेषज्ञ	1.एम.डी. मेडिसिन,	03	रू 1,25,000 / – (डिग्री)
		2. एम.डी. / डिप्लोमा एनेस्थिसिया	03	रू 1,10000 / – (डिप्लोमा)
2.	चिकित्सा अधिकारी	एम.बी.बी.एस.	40	रू. 60,000 / –
3.	**पदो की भर्ती के लिये वॉक इन इन्टरव्यू गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के सभागार में दिनांक 25–03–2021 से दिनांक 31–03–2021 तक प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 02:00 बजे तक आयोजित किये जाऐंगे।**			

इच्छुक उम्मीदवार **वॉक इन इन्टरव्यू में** अपने निर्धारित शौक्षणिक योग्यता, सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र एवं मूलनिवासी एवं जाति प्रमाण पत्र के मूलदस्तावेजो की एक स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ ले कर आये।

पूर्व में जमा समस्त आवेदन इस विज्ञप्ति के लिये के मान्य नही होगे। विज्ञापन के लिये प्राप्त आवेदन कीं स्कूटनी मे पात्र आवेदको के चयन आदेश की सूचना कालेज की वेंबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी। जिन्हे आदेश प्रकाशन के तीन दिवस के भीतर अधिष्ठाता कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में उपस्थिति देनी होगी।

दस्तावेजः अभ्यार्थी को म0प्र0 चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीकरण, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी डिजिटल जातिप्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजो की स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार से दस्तावेज पूर्ण न होने की स्थिति में आपको पात्र नहीं माना जाऐगा।

कोविड–19 महामारी की रोकथाम करने हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए आयु और वर्ग के मानक को शिथिल किया गया है। सभी 21 वर्ष से 60 वर्ष

के आयु एवं वर्ग के पद अनुसार पात्र आवेदक ही आवेदन कर सकते है। नियुक्ति अस्थायी दिनांक 30.06.2021 तक के लिए है।

चयनित आवेदक नियुक्ति अवधि समांप्त होने के पश्चात संविदा या नियमित नौकरी के लियें पात्र नही माना जायेगा और न ही इसके लिये कोई दावा करेगा।

इस कार्यलय को बिना कारण बताये किसी भी समय यह विज्ञप्ति मे आशिंक रूप में परिवर्तन अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यलय, भोपाल का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। किसी भी विवाद की स्थिती में केवल न्यायालय भोपाल में परिषद हेंतु मान्य रहेगा। नियुक्ति 03 माह के लिये अनुबंधित है। कोविड–19 महामारी कार्य के लिये है। आवेदक को चयन के पश्चात् नियुक्ति के समय 500/– रू के अनुबंध का व्यय स्वयं करना पड़ेगा।

23/03/21

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल